समक्ष—: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्र0क0—: /2016 पुनरीक्षण

पूरणचन्द पुत्र बंशीलाल जाति मीणा पेशा कृषि निवासी ग्राम बेहड़ावद तहसील बडोदा जिला श्योपुर म.प्र.

——आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1 म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र. ——अनावेदक

2 गुरचरण पुत्र पीरूलाल जाति बेरवा निवासी ग्राम राजोरा तहसील बडोदा जिला श्योपुर म.प्र. —तरतीवी पक्षकार

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला श्योपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 74/2010—11/स्व. निगरानी म.प्र. शासन पुनरीक्षणकर्ता बनाम गुरूचरण, पूरणचन्द गेरनिगरानीकर्ता मे पारित आदेश दिनांक 03—03—2016 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व सहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत पुनरीक्षण।

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से निगरानी आवेदन निम्नांकित प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य —: इस प्रकार है

1 यह कि ग्राम राजोरा तहसील बडोदा जिला श्योपुर म.प्र. मे स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 127 रकबा 8 बीधा के सम्बन्ध मे अनावेदक कमांक 2 तरतीवी पक्षकार गुरूचरण द्वारा म.प्र. भू राजस्व संहिता की

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3693—एक/2016 जिला—श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
6.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 74/2010—11/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03/03/16 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 15/4/19 सदस्य **अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	